Government of Haryana/हरियाणा सरकार

District Elementary Education Office

जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी

गुरुग्राम

Office address: Mini.Sect.5th Floor,Near Rajiv Chowk,Gurugram
Contact: Ph.No. 0124-328387 email: deeogurugram@gmail.com

सेवा में,

सर्व खंड शिक्षा अधिकारी

जिला-गुरुग्राम ।

यादी क्रमांक-G-II/2024/ 656-60

दिनांक-16.02.2024

विषय-कक्षा पहली में दाखिले की न्यूनतम आयु के संदर्भ में ।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में ।

विषयांकित मामले पर आप सभी को निदेशालय मौलिक शिक्षा हरियाणा,पंचकुला जारी पत्र क्रमांक 1/15-2017 ACD(4) दिनांक-27.01.2023, दिनांक-11.09.2023, दिनांक-02.02.2024 की प्रतियाँ आप सभी के साथ साँझा करते हुए लिखा जाता है कि आप अपने खंड के सभी राजकीय व मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालयों में पत्रों में दिए गए दिशानिर्देशो की पालना करवाना सुनिश्चित करे । किसी भी प्रकार की कोताही हेतु सम्बंधित स्कूल प्राचार्य/प्रबंधक स्वयं जिम्मेवार होगा । पालनार्थ प्रेषित है ।

संग्लन-उपरोक्तानुसार ।

16/2/24

जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी

गुरुग्राम । 16/02/24

: इसकी एक प्रति जिले के सभी प्राइवेट स्कूल के प्राचार्य/प्रबंधक को पालनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

16/2/24

जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी

गुरुग्राम । 16/02/24

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Develop

School Education, Haryana

तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to L

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
कार्यालय: शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला–134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253
e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

सेवा में,

राज्य के सभी,
1. जिला शिक्षा अधिकारी।
2. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।
3. खण्ड शिक्षा अधिकारी।
4. खण्ड मौलिक शिक्षा अधिकारी।
5. प्रधानाचार्य/स्कूल प्रभारी।

यादी क्रमांकः– 1/15-2017 ACD (4)
दिनांकः– 27.01.2023

विषयः– **कक्षा पहली में दाखिले की न्यूनतम आयु के सन्दर्भ में।**

*****

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में उल्लेख है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 तथा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक DO 92/20/SS तथा F.No. 9-2/2020 IS-3 दिनांक 19.07.2022 के अनुसार पूरे देश में स्कूल प्रवेश की आयु को एक समान करने का निर्णय लिया गया है। इस सन्दर्भ में निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में पहली कक्षा में प्रवेश की आयु को न्यूनतम 6 वर्ष करने की प्रक्रिया दो चरणों में सम्पन्न की जाए। अतः कक्षा पहली में प्रवेश की आयु में निम्नानुसार बदलाव किया गया है जो सरकारी तथा प्राइवेट दोनों प्रकार के विद्यालयों पर लागू होगाः–

(i) शैक्षणिक सत्र 2023–24 जो 01 अप्रैल, 2023 को आरम्भ होगा, के लिए पहली कक्षा में दाखिले की आयु 31 मार्च, 2023 को 5 वर्ष 6 मास होगी। अतः ऐसे विद्यार्थी जो 01 अप्रैल, 2023 को इस आयु को प्राप्त कर चुके हों दाखिले के पात्र होंगे।

(ii) 01 अप्रैल, 2024 को आरम्भ होने वाले शैक्षणिक सत्र में कक्षा पहली में दाखिले की न्यूनतम आयु 31 मार्च, 2024 को 6 वर्ष होनी अनिवार्य होगी अर्थात विद्यार्थी 01 अप्रैल, 2024 को 6 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो।

आपसे आग्रह किया जाता है कि अपने अधीनस्थ सभी सरकारी तथा प्राइवेट विद्यालयों में उपरोक्तानुसार अनुपालना सुनिश्चित करें ताकि न्यूनतम आयु सीमा प्राप्त करने पर ही विद्यार्थी का कक्षा प्रथम में दाखिला सुनिश्चित किया जा सके।

सहायक निदेशक (शैक्षणिक)
कृतेः निदेशक मौलिक शिक्षा
हरियाणा पंचकूला

पृष्ठांकन क्रमांक समः दिनांक, पंचकूला 27.01.2023

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. वरिष्ठ सचिव/प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमन्त्री हरियाणा, चण्डीगढ़।
2. निजी सचिव/माननीय शिक्षा मंत्री, हरियाणा।
3. वरिष्ठ सचिव/माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़।
4. वरिष्ठ सचिव/माननीय प्रधान सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा, चण्डीगढ़।
5. निजी सहायक/माननीय निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
6. निजी सहायक/माननीय निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
7. सहायक प्रबन्धक/माननीय राज्य परियोजना निदेशक, HSSPP, पंचकूला।
8. निजी सचिव/माननीय निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा, पंचकूला।
9. निदेशक, SCERT हरियाणा, गुरूग्राम।
10. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
11. अतिरिक्त सचिव (विद्यालय शिक्षा) शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

सहायक निदेशक (शैक्षणिक)
कृतेः निदेशक मौलिक शिक्षा
हरियाणा पंचकूला

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
कार्यालय: शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253
e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

सेवा में,

राज्य के सभी,
1. जिला शिक्षा अधिकारी।
2. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।
3. खण्ड शिक्षा अधिकारी।
4. खण्ड मौलिक शिक्षा अधिकारी।
5. प्रधानाचार्य / स्कूल प्रभारी।

यादी क्रमांकः– 1/15-2017 ACD (4)
दिनांकः– 11.09.2023

विषयः– कक्षा पहली में दाखिले की न्यूनतम आयु के सन्दर्भ में।

*****

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में जैसा कि आपको विदित है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के पत्र क्रमांक DO 92/20/SS तथा F. No. 9/2-2020 IS-3 दिनांक 19.07.2022 के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के मध्यनजर में पूरे देश में कक्षा पहली में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु सीमा 6 वर्ष करने की अनुपालना में हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 1/15-2017 ACD (4) दिनांक 27.01.2023 तथा 11/7-2023 ACD (4) दिनांक 05.04.2023 के तहत शैक्षणिक वर्ष 2023–24 के लिए सरकारी तथा प्राइवेट दोनों प्रकार के विद्यालयों के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे। जिसके अनुसार वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2023–24 में विभाग द्वारा अपने सभी सरकारी विद्यालयों में पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम आयु को 5 वर्ष 6 मास किया गया तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम की अनुपालना में बनाये गये हरियाणा राज्य के नियमों में नियम 10 (जो प्रवेश की विस्तारित अवधि का उल्लेख करता है) की अनुपालना में शैक्षणिक वर्ष जो 01 अप्रैल को आरम्भ होता है उसमें नियमों के अनुसार 6 मास तक की विस्तारित अवधि की छूट भी प्रदान की गई।

इसकी निरन्तरता में आपको अवगत करवाया जाता है कि विभाग द्वारा पूर्व में जारी किए गए उपरोक्त पत्रों के अनुसार अगले शैक्षणिक वर्ष 2024–25 में कक्षा पहली में दाखिले की आयु 6 वर्ष हो गई है अर्थात ऐसे सभी बालक जिनकी आयु 01 अप्रैल, 2024 को 6 वर्ष होगी, वे कक्षा पहली में प्रवेश लेने के पात्र होंगे। ऐसे सभी विद्यार्थी जिनकी आयु शैक्षणिक वर्ष के आरम्भ के दिन अर्थात 01 अप्रैल, 2024 को 6 वर्ष से कुछ कम होगी, उन्हें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियमों की अनुपालना में 6 मास की छूट मिलेगी अर्थात 01 अप्रैल से 30 सितम्बर के मध्य ये विद्यार्थी जिस दिन भी 6 वर्ष के हो जाएंगे, इन्हें पहली कक्षा में दाखिल कर दिया जाएगा।

अतः आपसे आग्रह किया जाता है कि अपने अधीनस्थ सभी सरकारी तथा प्राइवेट विद्यालयों में निम्नानुसार दिशानिर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें:–

1. 01 अप्रैल, 2024 को आरम्भ होने वाले शैक्षणिक सत्र में पहली कक्षा में दाखिले के लिए विद्यार्थी की आयु 6 वर्ष होनी अनिवार्य होगी।
2. ऐसे सभी विद्यार्थी जिनकी आयु 01 अप्रैल, 2024 को 6 वर्ष नहीं होगी उन्हें प्रवेश की विस्तारित अवधि की छूट प्रदान की जाएगी जिसकी सीमा 6 मास होगी।
3. ऐसे विद्यार्थी जो प्राइवेट विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में दाखिल हैं, उन्हें भी प्रवेश की विस्तारित अवधि के तहत 6 मास की छूट का लाभ दिया जाए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुपालना में बनाये गए नियम हरियाणा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 10 (1) (2) की अनुपालनां सुनिश्चित करें।

उपरोक्त आदेशों की अनुपालना के लिए स्कूल मुखिया व्यापक प्रचार-प्रसार करें। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि जानकारी के अभाव में माता-पिता तथा विद्यार्थियों को कठिनाई का सामना न करना पड़े।

सहायक निदेशक (शैक्षणिक)
कृतेः निदेशक मौलिक शिक्षा
हरियाणा पंचकूला

पृष्ठांकन क्रमांक समः

दिनांक, पंचकूला 11.09.2023

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. वरिष्ठ सचिव/प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमन्त्री हरियाणा, चण्डीगढ़।
2. निजी सचिव/माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री, हरियाणा।
3. वरिष्ठ सचिव/माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़।
4. वरिष्ठ सचिव/माननीय प्रधान सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा, चण्डीगढ़।
5. निजी सचिव/माननीय निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
6. सहायक प्रबन्धक/माननीय राज्य परियोजना निदेशक, HSSPP, पंचकूला।
7. निजी सहायक/माननीय निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
8. निजी सचिव/माननीय निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा, पंचकूला।
9. निदेशक, SCERT हरियाणा, गुरुग्राम।
10. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
11. अतिरिक्त सचिव (विद्यालय शिक्षा) शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

सहायक निदेशक (शैक्षणिक)
कृतेः निदेशक मौलिक शिक्षा
हरियाणा पंचकूला

Office: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) · Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560263
कार्यालय : शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकूला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स 91 (0172) 2560263

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
कार्यालय: शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला–134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253
e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

सेवा में

राज्य के सभी,
1. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।
2. प्रधानाचार्य, DIET
3. जिला परियोजना तथा खण्ड संसाधन समन्वयक।
4. कलस्टर मुखिया।

यादी क्रमांक:– 1/15-2017 ACD (4)
दिनांक:– 02.02.2024

विषय:– **NEP-2020 की अनुपालना में Early Childhood Care & Education औपचारिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा को लागू करने के संदर्भ में।**

******

उपरोक्त विषय के संदर्भ में उल्लेख है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की अनुपालना में राज्य में औपचारिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा आरंभ हो गयी है तथा 5 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों के लिए बालवाटिका–3 की कक्षाएं स्कूलों में संचालित है। महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा द्वारा 2404 स्कूलों में आंगनवाडी केन्द्र संचालित है जिनमें 3 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए बालवाटिका–1 और बालवाटिका–2 की व्यवस्था की जा रही है तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा को औपचारिक रूप से धरातल पर लाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के साथ अनेक सांझे प्रयास किए जा रहे है। इसी श्रृंखला में विभाग द्वारा निम्न निर्णय लिए गए हैं:–

1. सभी Co-located आंगनवाड़ी अर्थात ऐसे प्ले स्कूल जो विद्यालयों में संचालित हैं वहां पर समुचित व्यवस्था की जाए तथा विद्यालयों में उपलब्ध बिजली व्यवस्था, पेयजल सुविधा, शौचालय, खेल का मैदान इत्यादि सुविधाओं को WCD की आंगनवाडी केन्द्रों के साथ सांझा किया जाए।
2. आंगनवाडी केन्द्रों में पढने वाले बच्चों को पठन–पाठन में वांछित शैक्षणिक सहयोग देने हेतु विद्यालय मुखिया द्वारा उक्त केन्द्रों में कार्यरत संचालिकाओं को सहायता प्रदान की जाए। उन्हें वांछित मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। विशेषकर शैक्षणिक मामलों में पाठयचर्या, पाठयक्रम, पाठयपुस्तकें, पाठय सामग्री, TLM, सहायक सामग्री यदि समुचित मात्रा में उपलब्ध है तो सांझी की जाए।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुसार हरियाणा राज्य में पहली कक्षा में नामांकन की आयु 01 अप्रैल, 2024 से 6 वर्ष कर दी गई है तथा 5 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके विद्यार्थी विद्यालय शिक्षा विभाग

द्वारा सभी विद्यालयों में संचालित बाल वाटिका–3 में दाखिल होंगे। पाँच वर्ष से कम आयु के विद्यार्थी WCD के प्ले स्कूल का भाग रहेंगे।

अतः आपसे आग्रह किया जाता है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए सभी निर्देशों की समुचित अनुपालन सुनिश्चित करें तथा WCD विभाग की Co-Located प्ले स्कूलों के संदर्भ में मांग का समुचित समाधान करने का प्रयास करें।

05.02.2024

सहायक निदेशक (शैक्षणिक)
कृतेः निदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा पंचकूला

पृष्ठांकन क्रमांक समः **दिनांक, पंचकूला 02.02.2024**

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. वरिष्ठ सचिव, माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़।
2. निजी सहायक, आयुक्त एवं सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा।
3. निजी सहायक, माननीय महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
4. निजी सचिव, माननीय निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
5. सहायक प्रबन्धक, माननीय राज्य परियोजना निदेशक, HSSPP, पंचकूला।

05.02.2024

सहायक निदेशक (शैक्षणिक)
कृतेः निदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा पंचकूला

(Registrar. Births and Deaths) shall forward copy of the birth certificate within six months of such intimation.

Extended period for admission.

10. (1) Extended period of admission shall be six months from the date of commencement of the academic year of a school.

(2) Where a child is admitted in a school after the extended period, he or she shall be eligible to complete studies with the help of special training, as determined by the head of the school.

Medium of instruction.

11. 'Hindi' shall be preferred medium of instruction in all schools. The institution willing to adopt any other medium of instruction shall take prior permission of Director. This permission shall be granted within forty five days of receipt of letter in the office of Director. In case the permission is not given within specified period, it shall be deemed to have been granted.

Recognition of schools.

12. (1) Every school, other than a school established, owned or controlled by the Government or local authority, established before the commencement of these Rules, shall make a self declaration within a period of three months of the commencement of these rules, in Form 1 to the concerned District Elementary Education Officer regarding its compliance or otherwise with the norms and standards specified in Appendix I and II and the following conditions, namely:-

(a) the school is run by any individual or association of individuals or firm or society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), or trust created under the Indian Trusts Act, 1882 (2 of 1882), or a company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956). The School authority shall follow the norms specified under these rules;

(b) the school conforms to the values enshrined in the Constitution;

(c) the school buildings or other structures or the grounds are used only for the purposes of education and skill development;

(d) the school is open to inspection by any officer authorized by the State Government or the Local Authority;

(e) the school furnishes such reports and information as may be required from time to time and complies with such instructions of the State Government or the Local Authority as may be issued to secure the continued fulfilment of the condition of recognition or the removal of deficiencies in working of the school;

(f) the pupil-teacher ratio as specified in section 25 is maintained;

(g) the school provides barrier free access and adapted toilets for children with disabilities.